वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

वाराणसी विकास प्राधिकरण से सम्बन्धित दिनांक 14.02.2025 को वाराणसी शहर में प्रकाशित न्यूज पेपर",अमर उजाला, दैनिक जागरण, ज्ञानशिखा टाइम्स, हिन्दुस्तान, न्यायाधीश, राष्ट्रीय सहारा, परफेक्ट मिशन,"समाचार पत्र कटिंग का विवरण।

अमर उजाला–दि0 14.02.2025

सात बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त दो अवैध निर्माण सील किए

वाराणसी। वीडीए ने बृहस्पतिवार को सात बीघे की अवैध प्लॉटिंग ध्वस्त कराई। इसके अलावा दो अवैध निर्माण सील किए। वीडीए उपाध्यक्ष पुलकित गर्ग के अनुसार नगवां वार्ड के पहाड़ी यादव बस्ती के पास रोहनिया में अशोक वर्मा की ओर से सात बीघे की अवैध प्लॉटिंग विकसित की जा रही थी। वीडीए ने पुलिस बल के सहयोग से ध्वस्त किया गया। भेलूपुर वार्ड के फरीदपुर से सटे गौरीगंज में आशुतोष की ओर से अवैध निर्माण कराया जा रहा था। इसे वीडीए ने सील कर दिया। सिकरौल वार्ड के इंग्लिशिया लाइन चर्च कंपाउंड के समीप ज्योति केशरी की ओर से अवैध निर्माण कराया जा रहा था। इसे वीडीए ने सील कराया। ब्यूरो

अमर उजाला–दि0 14.02.2025

पेट्रोल पंप और बेसमेंट की वीडीए करेगा जांच

वाराणसी। वीडीए सभागार में बृहस्पतिवार को अपर सचिव डॉ गुडाकेश शर्मा ने लंबित शमन मानचित्र की समीक्षा की। उन्होंने पेट्रोल पंपों की जांच, सील प्रकरणों की जांच, बेसमेंट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए। कहा कि जनता की समस्याओं का एक सप्ताह में निस्तारण कराएं। अवैध प्लॉटिंग को चिह्नित कर ध्वस्तीकरण कराएं। स्वीकृत पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए। शिवपुर, सिकरौल वार्ड में शमन शुल्क के मद में कुल 9,78,24,669 रुपये जमा की गई। सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा वार्ड में कुल शमन धनराशि 6,63,23,831 रुपये जमा की गई। सभी जोनल अधिकारियों को हिदायत दी गई की मानचित्रों का निस्तारण त्वरित गति से कराएं। ब्यूरो

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

दैनिक जागरण–दि0 14.02.2025

दो निर्माण सील

वाराणसी विकास प्राधिकरण की टीम ने भेलूपुर और सिकरौल वार्ड में कार्रवाई करते हुए पांच निर्माण को सील कर दिया। इसमें वार्ड-भेलपूर की प्रवर्तन टीम ने आशुतोष उपाध्याय व अन्य द्वारा फरीदपुर के सटे, गौरीगंज में बनाए जा रहे निर्माण को सील कर दिया गया। इसी प्रकार जोन-1 वार्ड-सिकरौल के प्रवर्तन टीम ने इंग्लिशिया लाइन में निर्माण को सील कर दिया।

यादव बस्ती के पास सात बीघा की प्लाटिंग ध्वस्त

जागरण संवाददाता, वाराणसी : विकास प्राधिकरण अवैध प्लाटिंग कर लोगों को ठगने वाले कालोनाइजरों के खिलाफ अभियान चलाए हुए है। इस क्रम में गुरुवार को वीडीए की टीम नें वार्ड-नगवां के मौजा पहाड़ी, यादव बस्ती के पास लगभग सात बीघा की अवैध प्लाटिंग ध्वस्त कर दिया। वहां बिना लेआउट के अवैध प्लाटिंग विकसित की जा रही थी। मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता आदर्श निराला, प्रवर्तन दल सहित पुलिस बल उपस्थित रहे।

हिन्दुस्तान–दि0 14.02.2025

वीडीए प्रशासन ने चार अवैध निर्माण सील किए

वाराणसी। वीडीए प्रशासन ने गुरुवार को विभिन्न क्षेत्रों में अवैध निर्माण पर कार्यवाही की। सिकरौल में अवैध निर्माण सील करके उसे पुलिस कस्टडी में सौंपा गया। इंग्लिशियालाइन में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये 96 वर्गमीटर में दो मंजिला भवन, भेलूपुर में दो मंजिला भवन सील किया गया। गौरीगंज में 500 वर्गफीट में बिना मानचित्र स्वीकृत कराये दो मंजिला भवन सील किया गया।

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी

राजा उदय प्रताप मार्ग पन्ना लाल पार्क वाराणसी-221002

Ph: 0542-2283305/06, Fax: 0542-2283307, E-mail: vdavaranasi@gmail.com, Website:www.vdavns.com

ज्ञानशिखा टाइम्स–दि0 14.02.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने की कार्यवाही

वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गई।वार्ड- नगवां के अन्तर्गत अशोक वर्मा व अन्य द्वारा मौजा- पहाड़ी, यादव बस्ती के पास थाना - रोहनिया में लगभग 07 बीघा की अवैध प्लाटिंग बिना ले -आउट पास कराये अवैध प्लाटिंग विकशित की जा रही थी द्य उक्त अवैध प्लाटिंग को आज 13.02.2025 को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से प्लाटिंग ध्वस्त किया गया।मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता आदर्श निराला प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे।उपाध्यक्ष महोदय द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न,करें अन्यथा की स्थिति में प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

न्यायाधीश–दि0 14.02.2025

वीडीए ने की अवैध प्लाटिंग के विरूद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

वाराणसी। उपाध्यक्ष वाविप्रा द्वारा प्रदत्त निर्देश के क्रम में वाराणसी विकास प्राधिकरण वाराणसी जोन-4 की प्रवर्तन टीम द्वारा अवैध प्लाटिंग के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही सम्पादित की गयी। इसके तहत वार्ड- नगवां के अन्तर्गत अशोक वर्मा व अन्य द्वारा मौजा- पहाड़ी, यादव बस्ती के पास थाना - रोहनिया में लगभग 07 बीघा की अवैध प्लाटिंग बिना ले-आउट पास कराये अवैध प्लाटिंग विकशित की जा रही थी ? उक्त अवैध प्लाटिंग को 13 फरवरी को प्रवर्तन टीम एवं पुलिस बल के सहयोग से प्लाटिंग ध्वस्त किया गया। इस मौके पर जोनल अधिकारी संजीव कुमार,अवर अभियंता आदर्श निराला प्रवर्तन दल सहित समस्त सुपरवाइजर व पुलिस बल उपस्थित रहे। उपाध्यक्ष द्वारा आम जन मानस से अपील की गयी है कि वाराणसी विकास प्राधिकरण से ले-आउट स्वीकृत प्लॉट ही खरीदें तथा मानचित्र स्वीकृत कराये बिना किसी भी प्रकार का निर्माण कार्य न करें अन्यथा की स्थिति मे प्राधिकरण द्वारा सख्त कार्यवाही की जायेगी।

राष्ट्रीय सहारा–दि0 14.02.2025

शीघ्र मानचित्र निस्तारण का निर्देश, अवैध प्लाटिंग पर सख्त

वाराणसी (एसएनबी)। वाराणसी विकास प्राधिकरण उपाध्यक्ष के निर्देशों के क्रम में गुरूवार को वाराणसी विकास प्राधिकरण सभागार कक्ष में अपर सचिव डॉ गुडाकेश शर्मा द्वारा जोन-1 एवं जोन-2 की समीक्षा बैठक की गई। समीक्षा बैठक के दौरान लम्बित शमन मानिचत्रों की प्रकरणवार समीक्षा करते हुए शीघ्र मानिचत्र निस्तारण का निर्देश दिया। इस अवसर पर शहर में हो रहे अनियोजित विकास एवं अवैध प्लाटिंग का चिन्हांकन करते हुए नियमानुसार प्रभावी कार्यवाही/ ध्वस्तीकरण सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। बैठक में अपर सचिव द्वारा संबन्धित अधिकारी/कर्मचारी को निर्देशित किया कि सौंपें गये कार्यो के प्रति कोई लापरवाही एवं शिथिलता न बरती जाय अन्यथा की स्थिति में संबन्धित के विरूद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण से देखा जायेगा।

वाराणसी विकास प्राधिकरण की समीक्षा बैठक

समीक्षा बैठक में जोन-1 के वार्ड शिवपुर, सिकरौल एवं विन्यास में विगत दिनांक 01 से 09 फरवरी तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू 0 77,69,620.00 जमा कराया गया तथा इस वित्तीय वर्ष-2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू- 9,78,24,669 एवं जोन-2 के वार्ड सारनाथ, आदमपुर, जैतपुरा एवं विन्यास में विगत दिनांक 01 से 09 फरवरी तक शमन शुल्क के मद में कुल धनराशि रू 22,58,208 जमा कराया तथा वित्तीय वर्ष 2024-25 में माह अप्रैल से अभी तक कुल शमन धनराशि रू 6,63,23,831 जमा कराया। इस दौरान स्वीकृत शमन पत्रावली के सापेक्ष बकाया शमन शुल्क जमा न करने वाले निर्माणकर्ताओं के विरूद्ध प्रभावी प्रवर्तन तथा विधिक कार्यवाही करने को भी जोनल अधिकारी को निर्देश दिया। सील प्रकरणों की जांच एवं बेसमेण्ट खाली कराते हुए पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया। जन शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के लिए निर्देश दिया एवं सचेत किया गया कि विलंबतम 01 सप्ताह में जनशिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता पर सुनिश्चित किया।

इस दौरान समीक्षा बैठक में जोन-1 के जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियन्ता विजय सिंह अवर अभियन्ता प्रिया अग्रहरि, भवन लिपिक किरन सिंह एवं जोन-2 जोनल अधिकारी प्रकाश कुमार, अवर अभियंता विनोद कुमार, अवर अभियंता वर्तिका दुबे सहित भवन लिपिक रक्षित रघुवंशी एवं समस्त फील्ड कार्मिक उपस्थित थे।

परफेक्ट मिशन–दि0 14.02.2025

वाराणसी विकास प्राधिकरण ने अवैध निर्माण पर की कार्रवाई

परफेक्ट मिशन

वाराणसी। विकास प्राधिकरण की टीम ने जोन-1 और जोन-4 में अवैध निर्माणों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की। इस दौरान दो अवैध निर्माण सील कर दिए। साथ ही इनकी निगरानी की जिम्मेदारी संबंधित थाने की पुलिस को सौंपी गई। जोन-4, वार्ड-भेलूपुर के अंतर्गत फरीदपुर, गौरीगंज स्थित भवन संख्या बी-15/66 में आशुतोष उपाध्याय व अन्य द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र के लगभग 500 वर्गफीट क्षेत्र में जी+1 मंजिल की छत ढलाई और चिनाई का कार्य किया जा रहा था। वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने मौके पर पहुंचकर निर्माण कार्य को रोकते हुए भवन को सील कर दिया। कार्रवाई के दौरान जोनल अधिकारी संजीव कुमार, अवर अभियंता आदर्श निराला और सोनू कुमार उपस्थित रहे। जोन-1, वार्ड-सिकरौल के अंतर्गत इंग्लिशिया लाइन चर्च कंपाउंड के समीप, कैंट क्षेत्र में ज्योति केशरी द्वारा बिना स्वीकृत मानचित्र के लगभग 96 वर्गमीटर क्षेत्र में जी+1 मंजिल का निर्माण किया जा रहा था। इसे वाराणसी विकास प्राधिकरण की प्रवर्तन टीम ने अनधिकृत मानते हुए सील कर दिया। इस दौरान जोनल अधिकारी शिवाजी मिश्रा, अवर अभियंता प्रिया अग्रहरी और अन्य प्रवर्तन कर्मी उपस्थित रहे।